UPAU010008272026

# न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी-**मयंक चौहान** (एच०जे०एस०)

(J.O CODE UP 2011)

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-306/2026**

अनुज यादव पुत्र राम किशोर यादव निवासी द्वारिका की मडैया, थाना अछल्दा, जिला औरैया। ............. **प्रार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य ...............**अभियोजन पक्ष**

**मुकदमा अपराध संख्या**-223/2018
**धारा**-323, 504, 506, 386 भा०दं०सं०
**थाना**- अछल्दा, **जनपद** औरैया

**दिनांक-10.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **अनुज यादव** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 223/2018 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 386 भा०दं०सं०, थाना अछल्दा, जनपद औरैया के मामले में दौरान विचारण गैर हाजिर होने पर न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने पर अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध करने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसको उपरोक्त अपराध में झूठा साजिश के तहत थाना हाजा पुलिस द्वारा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें में जमानत पर था लेकिन नियत तिथि पर उपस्थित न होने कारण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध दिनांक 04.09.2024 को वारंट जारी कर दिये गये तत्पश्चात प्रार्थी एक अन्य अभियोग में जिला कारागार इटावा चला गया, तब प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त मुकदमें में तलबी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उसको जिला कारागार इटावा से तलब कर 309 सी०आर०पी०सी० का वारंट बनाया गया है। वह उपरोक्त अभियोग की नियत तिथि पर अपनी मां के इलाज हेतु ग्वालियर चले जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सका तथा उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। उपरोक्त अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उपरोक्त अभियोग की घटना में वादी मुकदमा को किसी प्रकार की कोई चोट आना नहीं बताया गया है और न ही मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया है तथा तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान मामले में पूर्व से जमानत पर थे और वर्तमान मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के गैर हाजिर होने पर उसके विरुद्ध

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.03.10 15:41:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये थे, जिसके जारी करने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और वह जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त अभियोग की नियत तिथि पर वह अपनी मां के इलाज हेतु ग्वालियर चले जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था। उसने जानबूझकर न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने की गलती नहीं की है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर न्यायालय इस मत का है प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।
2. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व द०प्र०सं० की धारा 313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा व द०प्र०सं० की धारा 313 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

## आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अनुज यादव** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 223/2018 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 386 भा०दं०सं०, थाना अछल्दा, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो नवीन प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, दाखिल करने पर उपरोक्त शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये।

**दिनांक–10.03.2026**

**(मयंक चौहान)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**औरैया।**
J.O CODE- UP 2011